न्यायालय तहसीलदार सिणधरी जिला बाड़मेर राजस्थान

मुकदमा नम्बर–01 /2023 संवत्:–2079

राजस्थान सरकार जरिये बनाम करनाराम S/o जोधाराम कौम
पटवारी हल्का कमठाई भील सा. नई कमठाई

निर्णय

दिनांकः–10-3-2023

संक्षिप्त प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि हल्का पटवारी कमठाई ने रिपोर्ट पेश कर जाहिर किया। कि गैर सायल ने संवत् 2079 में राजस्व ग्राम नई कमठाई के खसरा नम्बर 294/116 में कुल रकबा 55.9990 हे. ~~बीघा~~ किस्म भूमि अ.मु. गोचर में से रकबा 1.3429 हे. ~~बीघा~~ भूमि पर अतिक्रमण किया है। जिस पर राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर गैर सायल को नोटिस तलब किया गया। पेशी तिथि पर गैर सायल अनुपस्थित।

गैर सायल बावजूद नोटिस तामिल के अनुपस्थित अतः गैर सायल के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाती है।

चूकि उक्त आराजी राजस्व अभिलेख अनुसार राजकीय भूमि दर्ज है जिस पर गैर सायल द्वारा अनाधिकृत कब्जा करना साबित होता है।

ऐसी अवस्था में गैर सायल को राजस्थान भू– राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत अतिक्रमी घोषित किया जाकर उसको उक्त आराजी मूतनाजा से वेदखली के आदेश दिये है। गैर सायल के इस कृत्य के लिए उनके विरूद्ध वार्षिक भू– राजस्व लगान 0.05 रुपये का राउण्ड अप एक रुपये का 50 गुणा अर्थात 50/- रूपये (अक्षरे पचास रूपये) का जुर्माना आरोपित कर दण्डित किया जाता है। गैर सायल से वसूल किया जावे।

हल्का पटवारी गैर सायल को उक्त आराजी से भौतिक रूप से वेदखलकर निर्णय की पालना में भूमि का कब्जा बहक सरकार प्राप्त करे। तथा कब्जा प्राप्ति की रिपोर्ट पेश करें। निर्णय की क्रियान्वित मांग कायमी हेतु तराले/भू.अ. निरीक्षक/पटवारी हल्का आदेश की पालना सुनिश्चित करें। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

तहसीलदार सिणधरी
तहसीलदार सिणधरी

न्यायालय तहसीलदार सिणधरी (बाड़मेर)

वर्ष 2022-23 के राजस्व लेखा पंजिका न. 4 के पृष्ठ सं. 35 पर क्र.सं. 01 पर जुर्माना/फसल निलामी राशि रू. 50/- की मांग दर्ज की गई।

तहसील राजस्व लेखाकार
तहसील सिणधरी